

Seventeenth Loksabha

an>

12.01 hrs

Title: Papers Laid On The Table of the House by Ministers/Members.

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

आइटम नम्बर – 2. श्री नित्यानन्द राय जी ।

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए अनुमति दीजिए ।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

... (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आपसे यह अपेक्षा नहीं है । आप बहुत वरिष्ठ माननीय सांसद हैं ।

... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: *Dada*, please take care of your seniority also. Please sit down.

... (*Interruptions*)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

- (1) (एक) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी

संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे

(दो) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
।

[Placed in Library, See No. LT 7200/17/22]

(3) (एक) पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2019-2020 के लेखापरीक्षित लेखाओं पर सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
।

[Placed in Library, See No. LT 7201/17/22]

(5) पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत लद्दाख संघ-राज्यक्षेत्र पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) योजना, 2022 (अंग्रेजी संस्करण में) जो दिनांक 21.2.2022 के लद्दाख राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 20 में प्रकाशित हुई थी और जिनका हिन्दी संस्करण दिनांक 13 अप्रैल, 2022 को प्रकाशित हुआ था तथा उसका एक शुद्धिपत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण में) जो दिनांक 25 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना सं. एसजी-एलडी-ई-26042022-107 में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति ।

[Placed in Library, See No. LT 7202/17/22]

(6) विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1729(अ) जो 8 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में क्रम सं. 32 पर “हाफिज तल्हा सईद” का नाम जोड़ा गया है ।

(दो) का.आ. 1735(अ) जो 11 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में क्रम सं. 33 पर “मोहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर @मकतब अमीर @मुजाहिद भाई @मुहम्मद भाई @एम. अम्मार @अबू अम्मार माडम @औरंगजेब अंजार @मौलाना अम्मार मदनी @मौलाना अम्मार @अबू अम्मार @अम्मार अल्वी” का नाम जोड़ा गया है ।

(तीन) का.आ. 1768(अ) जो 11 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में क्रम सं. 34 पर “अली कासिफ जान @जान अली कासिफ” का नाम जोड़ा गया है ।

(चार) का.आ. 1820(अ) जो 13 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में क्रम सं. 35 पर “मुश्ताक अहमद जरगर @लतराम” का नाम जोड़ा गया है ।

(पांच) का.आ. 1737(अ) जो 18 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की

चौथी अनुसूची में क्रम सं. 36 पर “आशिक अहमद नींगरू @नेंगरू @अशाक हुसैन नेंगरू @अशाक मौलवी” का नाम जोड़ा गया है ।

(छह) का.आ. 1857(अ) जो 19 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में क्रम सं. 37 पर “शेख सज्जाद @शेख सज्जाद गुल @सज्जाद गुल @सज्जाद अह शेख” का नाम जोड़ा गया है ।

(सात) का.आ. 1876(अ) जो 19 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में क्रम सं. 38 पर “अर्जुमन्द गुलजार डार @हमज़ा बुरहान @डॉक्टर” का नाम जोड़ा गया है ।

[Placed in Library, See No. LT 7203/17/22]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी शोभा कारान्दलाजे): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
 - (दो) नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7204/17/22]

: THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI A. NARAYANASWAMY): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, Delhi, for the year 2020-2021.

(ii) Annual Report of the National Scheduled Castes Finance and Development Corporation, Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 7205/17/22]

(2) A copy of the following papers (Hindi and English versions) under Section (6) of the Article 338A of the Constitution:-

(i) Annual Report of the National Commission for Scheduled Castes, New Delhi, for the years 2018-2019 and 2019-2020.

(ii) Explanatory Memorandum on the Annual Report of the National Commission for Scheduled Castes, New Delhi, for the years 2018-2019 and 2019-2020.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 7206/17/22]

: गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय मिश्र टेनी): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) रिहैबिलिटेशन प्लान्टेशन्स लिमिटेड, कोल्लम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
 - (दो) रिहैबिलिटेशन प्लान्टेशन्स लिमिटेड, कोल्लम के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7207/17/22]

: THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (DR. L. MURUGAN): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
 - (i) Review by the Government of the working of the National Film Development Corporation Limited, Mumbai, for the year 2020-2021.
 - (ii) Annual Report of the National Film Development Corporation Limited, Mumbai, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7208/17/22]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai, for the years 2016-2017 to 2018-2019, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai, for the years 2016-2017 to 2018-2019.

- (4) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 7209/17/22]

: गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे
(दो) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 7210/17/22]